रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24102020-222732
CG-DL-E-24102020-222732

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 538] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 22, 2020/आश्विन 30, 1942
No. 538] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2020/ASVINA 30, 1942

इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि. 660(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (समूह "ग" पदों) भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्होंने ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है । इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में समूह `ग' के पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्म्लिखित विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (समूह ' ग' पद), भर्ती नियम, 2020 है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगें ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या,उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा , अर्हतायें आदि - भर्ती की पद्धति,आयु सीमा, अर्हतायें और उससे सम्बंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं

4.निर्रहता - वह व्यक्ति -

क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है या

ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा परंतु यदि केंद्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहा वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबंध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6.व्यावृति -इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बंध में समय-समय पर ज़ारी किये गये आदेशो के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों , अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिको और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन/ अचयन	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. स्टाफ कार ड्राईवर (श्रेणी1)	05 (2020) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92,300/-रु.)	अचयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक व अन्य अर्हतायें	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होगी।	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति /आमेलन की दशा में वें श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियो में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100/-रु.) में ऐसे स्टाफ कार ड्राईवर (श्रेणी 2) जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो या स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी II और स्टाफ कार ड्राइवर साधारण ग्रेड में 15 साल की संयुक्त सेवा के साथ; और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण की है। टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिये विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**समूह ‘ ग’ विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिये)जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे** 1. वैज्ञानिक ई, मापगुप्र निदेशालय, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय **-अध्यक्ष** 2. संयुक्त निदेशक/ उपनिदेशक मापगुप्र निदेशालय, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय **-सदस्य** 3. इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से एक अवर सचिव या उपनिदेशक **-सदस्य**।	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2 ज्येष्ठ सचिवालय सहायक	27 (2020) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में (रु. 25500-81100रु.) स्तर 4	अचयन	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार, सरकारी सेवको के लिये 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण :-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम) मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू काश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिये विहित की गई हैं ।.

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में प्रति मिनट 35 शब्दों की गति या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति। **टिप्पण 1:** भर्ती के समय अंग्रेजी या हिंदी या दोनों का ज्ञान आवश्यक है। भर्ती के समय अभ्यर्थियों को अंग्रेजी या हिंदी का विकल्प दिया जाता है। यदि भर्ती के समय किसी अभ्यर्थी को हिंदी का ज्ञान नहीं है, तो उसे अपनी परिवीक्षा अवधि के	लागू नहीं होता	दो वर्ष (सीधी भर्ती के अतिरिक्त)	(i) प्रोनति द्वारा पचास प्रतिशत। (ii) सीधी भर्ती द्वारा पचास प्रतिशत। (iii) सशस्त्र बल के कार्मिको के लिए पुंर्नियोजन र की प्रतिनियुक्ति यारोजगा : आमेलन द्वारा (i) और (ii) के असफलता के अतिरिक्त

दौरान अर्जित करना आवश्यक है। **टिप्पण 2:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थिओ की द्शा में केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 3**: अनुभव सम्बंधी अर्हता केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायो के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भवना नहीं है ।			

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति वेतन मैट्रिक्स के स्तर (19900--63200/-रु.) में ऐसे कनिष्ठ सचिवालय सहायक और हिँदी टंकक जिन्होंने आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो । **टिप्पण:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिये विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों कई सम्बंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि	**समूह ‘ग’ विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति पर विचार करने के लिये निम्नलिखित सम्मिलित हैं** 1. वैज्ञानिक ई ’, एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. संयुक्त निदेशक उप निदेशक या /समतुल्य , एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य; 3. एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव उप निदेशक / -सदस्य। समूह ग ’विभागीय पुष्टि समिति पुष्टि पर विचार करने के लिये निम्नलिखित सम्मिलित है : 1. वैज्ञानिक ई ’, एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. संयुक्त निदेशक उप निदेशक या /समतुल्य, एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य; 3. एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव / उप निदेशक -सदस्य।	लागू नहीं होता

सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो **प्रतिनियुक्ति/ या आमेलन** : (i) भारत सरकार या स्वशासित निकायों या पब्लिक सेक्टर/उपक्रम के अन्य मंत्रालयों या विभागों में नियमित आधार पर(पद धारण करने) से सदृश पदों को रखने वालों में से; या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19,900-63,200 /-रु.)में ऐसे कनिष्ठ सचिवालय सहायक जिन्होंने कार्मिक या स्थापन या लेखा मामलो के क्षेत्र में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो । **सशस्त्र बल कार्मिक के लिये प्रतिनियुक्ति या पुंर्नियोजन** : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिको के सम्बंध में विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किये जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और निहित अर्हतायें हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्वंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हे पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है । **टिप्पण 1**: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पँक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है		

साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. आशुलिपिक	05 (2020) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (25,500 -81100/-रु.)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच (केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक के लिए छूट **टिप्पण 1:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम(, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू काश्मीर राज्य के लद्दाख खंड , हिमाचल के लाहौल और स्पीति जिला तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों काई लिये विहित की गई हैं। **टिप्पण 2:** आयु सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख व होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाये।.

(7)	(8)	(9)	(10)
i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा में उत्तीर्ण; तथा (ii) कौशल परीक्षा मानक श्रुतलेख : 80 शब्द प्रति मिनट की गति 10 मिनट। प्रतिलेखन कंप्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिंदी)। या हस्तचालित टाइपराइटर पर 65 मिनट (अंग्रेजी) 75 मिनट (हिंदी)।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के संबंध में दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती **टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियो में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिये बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी जो (क) नियमित आधार पर सदृश पद (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित अर्हतायें हो।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह ग के लिए विभागीय पुष्टि समिति जिसमें (विचार करने के लिए) निम्लिखित सम्मिलित होंगे :** 1. वैज्ञानिक 'ई', एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय – अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक या/ उप निदेशक या समतुल्य, एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य; 3. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, एसटीक्यूसी निदेशालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव / उप निदेशक -सदस्य।	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4 स्टाफ कार ड्राईवर (श्रेणी 2)	06* (2020) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500–81100/-रु.)	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19900- 63200 /- रु.) में ऐसे स्टाफ कार ड्राईवर साधारण श्रेणी , जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की हो और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण की हो । **टिप्पण:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिये विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों कई सम्बंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**समूह ग के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :** 1. वैज्ञानिक 'ई ', एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -अध्यक्ष ; 2. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक या समतुल्य इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समकक्ष एसटीक्यूसी निदेशालय -सदस्य; 3. एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव/उप निदेशक -सदस्य।	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. हिन्दी टंकक	02 (2020) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19,900–63,200/-रु.).	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक के लिए छूट)। **टिप्पण 1:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम

					तारीख जो असम(, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू काश्मीर राज्य के लद्दाख खंड लद्दाख, हिमाचल के लाहौल और स्पीति जिला तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों काई लिये विहित की गई हैं।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण और (ii) अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति	जी हाँ स्तम्भ (10) में दी गई जानकारी के अनुसार	सीधी भर्ती के संबंध में दो वर्ष	(i) पदोन्नति द्वारा पचास प्रतिशत ii) सीधी भर्ती द्वारा पचास प्रतिशत। (iii) सशस्त्र बल कार्मिको के लिये प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा (i) और (ii) के अतिरिक्त असफलता की दशा में

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18000-56900/- रु.) मैं ऐसे बहुकार्य कर्मचारीवृंद जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विनिर्दिष्ट अर्हताएं है। **टिप्पण:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिये विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों कई सम्बंध	**समूह ग प्रोन्नति 'विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :** 1. वैज्ञानिक ई ', एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. संयुक्त निदेशक / उप निदेशक या समतुल्य , एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य; 3. एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव / उप निदेशक -सदस्य **समूह सी 'विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :**	लागू नहीं

में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति /आमेलन :** (i) भारत सरकार या स्वशासित निकायों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम के अन्य मंत्रालयों या विभागों में नियमित आधार पर सदृश पदों पर धारण करने वालो में से ; या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18000-56900/-रु.) में ऐसे बहुकार्य कर्मचारीवृन्द जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं। **सशस्त्र बल कार्मिक के लिये प्रतिनियुक्ति या पुंर्नियोजन** : सशस्त्र बल कार्मिक के ऐसे कार्मिको के सम्बंध में विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किये जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और निहित अर्हतायें हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्होंने सशस्त्र बल से नियुक्त किया जाता है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।	1. वैज्ञानिक 'ई ', एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. संयुक्त निदेशक / उप निदेशक या समतुल्य , एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य; 3. एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव / उप निदेशक -सदस्य	

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पँक्ति मै हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.स्टाफ कार ड्राईवर (साधारण श्रेणी)	05 (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित- अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19,900- – 63,200/-रु.).	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशो या आदेशो के अनुसार सरकारी सेवको के लिये 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है **टिप्पण :** आयु सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,नागालैंड त्रिपुरा, सिक्किम , जम्मू काश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड,

					अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिये विहित की गई है ।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i)किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा में उत्तीर्ण; (ii) मोटर कार के लिए विधिमान्य चाल्ना अनुतापित रखता हो (iii) 3 वर्षों का मोटर कार चलाने का अनुभव और (iv) सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षा पास की हो (v) मोटर का ज्ञान (vi) अभ्यर्थी वाहन में छोटी मोटी खराबी को दूर करने में सक्षम होना चाहिए। **वांछनीय :** होम गार्ड या सिविल वालंटियर्स के रूप में तीन साल की सेवा। **टिप्पण 1** : अर्हतायें, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2** : अनुभव सम्बंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित रिक्तियो को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायो के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है	लागू नहीं होता	दो वर्ष सीधी भर्ती या पुनर्नियोजन के सम्बंध में .	प्रतिनियुक्ति या आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा सशस्त्र बल कार्मिक के लिये प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन पर

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति या आमेलन : मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (1,8,000-56,900 / -रु.) में ऐसे नियमित समूह 'ग' कर्मचारियों में से, जिसके पास मोटर कार चलाने की सक्षम्ता के लिये चालन परीक्षा के आधार पर मोटर कार के लिये विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयो और विभागो में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18000-56900 /- रु.) में नियमित आधार पर सवार हरकारा कर्मचारी का पद धारण करने वाले में जो स्तम्भ (7) में यथाविनिर्दिष्ट आवश्यक अर्हतायें रखते हो । **सशस्त्र बल कार्मिक के लिये प्रतिनियुक्ति या पुंर्नियोजन :** सशस्त्र बल कार्मिक के ऐसे कार्मिको के सम्बंध में विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किये जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और निहित अर्हतायें हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्वंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हेन सशस्त्र बल से नियुक्त किया जाता है, तत्पश्चात उहे पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है । **नोट 1**: प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्लिखित सम्मिलित होंगे** : 1. वैज्ञानिक 'ई' एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक / उप निदेशक, एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य; 3. एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव / उप निदेशक -सदस्य।	लागू नहीं होता

उसी या किसी आंय संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधरणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी **नोट 2:** प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं.2(6)/2018-पी ए (टीबी)]

अरविन्द कुमार, महानिदेशक एसटीक्यूसी निदेशालय

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(STANDARDISATION, TESTING AND QUALITY CERTIFICATION DIRECTORATE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2020

G.S.R. 660(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate (Group "C" posts) Recruitment Rules, 2001 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group `C' posts in the Standardisation Testing and Quality Certification Directorate Ministry of Electronics and Information Technology, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology (Group 'C' Posts), Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.—** The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—** The method of recruitment , age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—** No person, -

   a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—** Where the Central Government may, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in, writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post.	**Number of Post.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix.**	**Whether Selection Post or Non Selection Post.**	**Age limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1.Staff Car Driver (Grade I)	05 (2020) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted Non - Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs. 29,200 – 92,300/-).	Non-Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of Probation, if any.**	**Method of recruitment: Whether by Direct Recruitment or by promotion or by Deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion.

In case of Recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion : Staff Car Driver (Grade-II) in Level -4 in the pay matrix of (Rs.25,500-81,100/-) with 6 years of regular service in the grade. Or With a combined service of 15 years in Staff Car Driver Grade II and Staff Car Driver Ordinary Grade; and have passed the trade test specified by the Government **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided, that they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service of two years,	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** 1. Scientist 'E', STQC Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology **-Chairman;** 2. The Joint Director / Deputy Director, STQC Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology **-Member;** 3. The Under Secretary / Deputy Director from a Ministry or a Department other than STQC Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology **-Member.**	Not applicable.

whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2 Senior Secretariat Assistant	27 (2020) *Subject to variation, dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25,500 – 81,100/-).	Non-selection	Between 18 and 27 years of age (relaxable for Government servants upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Graduate from recognised University (ii) A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 key depressions per hour /9000 key depressions per hour on an average of 5 key depression for each word) **Note 1:** Knowledge of English or	Not applicable.	Two years inrespect of direct recruits	(i) Fifty percent by promotion. (ii) Fifty percent by direct recruitment. (iii) Failing (i) and (ii) above, by deputation or absorption of re-employment for armed forces personnel.

Hindi or both at the time of recruitment is essential. The option of English or Hindi is given to the candidates at the time of recruitment. If at the time of recruitment a candidate does not have knowledge of Hindi, he is required to acquire the same during his probation period. **Note 2:** Qualifications are relaxable at the discretion of Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 3:** The qualification regarding experience is /are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe if, at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

(11)	(12)	(13)
Promotion: Junior Secretarial Assistant and Hindi Typist in Level 2 in the pay matrix of (Rs. 19,900-63,200/-) with eight years of regular service. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation/absorption :** (i) From amongst those holding analogous posts in a regular basis in other Ministries or Departments of Government of India or Autonomous Bodies or Public Sector Undertaking; or (ii) Junior Secretarial Assistant in Level-2 in the Pay matrix (Rs.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of the following** : 1. Scientist 'E', STQC Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology **- Chairman;** 2. The Joint Director / Deputy Director or equivalent, STQC Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology **-Member;** 3. The Under Secretary / Deputy Director from a Ministry or a Department other than STQC Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology **-Member.** **Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of the following** : 1. Scientist 'E', STQC Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology **- Chairman;** 2. The Joint Director / Deputy Director or equivalent, STQC Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology **-Member;** 3. The Under Secretary / Deputy Director from a Ministry or a Department other than STQC Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology **-Member.**	Not applicable

19,900-63,200/-) with eight years of regular service having experience in the field of Personnel or Establishment or Accounts matters. **Deputation or re-employment for Armed Forces personnel :** The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed shall also be considered. Such personal shall be given deputation term upto the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter, they may be continued on re-employment. **Note 1:** The Departmental Officers who are in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation or absorption. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or in some other organization shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty–six years as on the closing date of receipt of application.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3 Stenographer	05 (2020) Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25,500 – 81,100/-).	Not applicable	Between 18 and 27 years of age (Relaxable for Government Servants up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1** : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date for prescribed for those in Assam,

					Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh , Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Island or the Union Territory of Lakshadweep). Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Passed in 12th Class from a recognised Board or University; and **(ii) Skill Test Norms:** Dictation: 10 minutes at the speed of 80 words per minute. **Transcription:** 50 minutes (English) 65 minutes (Hindi) on Computers. Or 65 minutes (English) 75 minutes (Hindi) on manual typewriter.	Not applicable.	Two years in respect of Direct Recruits.	Direct Recruitment through Staff Selection Commission **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officers of the Central Government holding (a) analogous posts on regular basis (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits at column (7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1. Scientist 'E', STQC Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology **-Chairman;** 2. The Joint Director / Deputy Director or equivalent, STQC Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology **-Member;** 3. The Under Secretary / Deputy Director from a Ministry or a Department other than STQC Directorate,Ministry of Electronics and Information Technology **-Member.**	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Staff Car Driver (Grade II)	06 (2020)*Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non - Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25,500 – 81,100/-).	Non-Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion.

(11)	(12)	(13)
Promotion : Staff Car Driver Ordinary Grade in Pay level -2 in the pay matrix of (Rs.19,900-63,200/-) with 09 years of regular service in the grade and have passed the trade test specified by the Government. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided, that they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service of two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** 1. Scientist 'E', STQC Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology **-Chairman;** 2. The Joint Director / Deputy Director or equivalent STQC Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology **-Member;** 3. The Under Secretary / Deputy Director from a Ministry or a Department other than STQC Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology **-Member.**	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Hindi Typist	02 (2020) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs. 19,900 – 63,200/-).	Non-Selection	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government Servants up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government From time to time). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date for prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,

					Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory ofLadakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
(a) Passed Matriculation examination from a recognised Board or University; and (b) Typing Speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi.	Yes, to the extent indicated in column (10).	Two years in respect of Direct Recruits.	(i) Fifty percent by promotion. (ii) Fifty percent by direct recruitment. (iii) Failing (i) and (ii) above, by deputation or absorption of re-employment for armed forces personnel.

(11)	(12)	(13)
Promotion : Multi-Tasking Staff in level 1 in the pay matrix (Rs. 18,000 – 56,900/-) with three yearsof regular service in the grade and possess qualifications specified under column (7) for Direct Recruitment. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation/absorption :** (i) From amongst those holding analogous posts in a regular basis in other Ministries or Departments of Government of India or Autonomous Bodies or Public Sector Undertaking; or	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for consideringpromotion)consisting of:** 1. Scientist 'E', STQC Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology - **Chairman;** 2. The Joint Director / Deputy Director or equivalent, STQC Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology **-Member;** 3. The Under Secretary / Deputy Director from a Ministry or a Department other than STQC Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology **-Member** **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1. Scientist 'E', STQC Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology - **Chairman;** 2. The Joint Director / Deputy Director or equivalent, STQC Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology **-Member;** 3. The Under Secretary / Deputy Director from a Ministry or a Department other than STQC Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology **-Member**	Not applicable.

(ii) Multi Tasking Staff in Level-1 in the Pay matrix (Rs. 18,000 - 56,900/-) with three years of regular service and possess qualifications specified under column (7) for Direct Recruitment. **Deputation or re-employment for Armed Forces personnel :** The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed shall also be considered. Such personal shall be given deputation term upto the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter, they may be continued on re-employment. **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or in some other organization shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty–six years as on the closing date of receipt of application.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	05 (2020) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted Non - Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs.19,900- – 63,200/-).	Not applicable	18 to 25 years *(relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note:** The crucial date for determining age limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam,

					Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Union Territory of Jammu and Kashmir, Lahaul and SpitiDistrict and Pangi sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh Union Territory of the Andaman and Nicobar, Islands of UnionTerritory of Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Pass in 10th Standard from recognised board; (ii) Possession of a valid Driving Licence for Motor Cars; (iii) Experience of driving motor car for 3 years and, (iv) To Pass the Trade Test specified by the Government (v) Knowledge of motor mechanism (vi) The candidate should be able to remove minor defects in vehicle. **Desirable:** Three years service as a Home Guard or Civil Volunteers. **Note1:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority. **Note 2:** In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable.	Two years in respect of Direct Recruits or re-employed.	Deputation/ absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel : Deputation/re-employment

(11)	(12)	(13)
Deputation /Absorption: From amongst the regular Group C employees in the level 1 (Rs.18,000-56,900/-) in the pay matrix in the Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate who possesses valid driving licence for motor car on the basis of driving test to assess the competency to drive Motor Cars failing which, from officials holding the post of Despatch rider on regular basis in Level 1 (Rs.,18,000-56,900/-)in pay matrix in other Ministries of the Central Government who fulfil the necessary qualifications as mentioned in column (7). **For Ex-serviceman : Deputation/Re-employment :** The Armed forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall be considered. Such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation/absorption shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of the application.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for consideringconfirmation) consisting of:** 1. Scientist 'E', STQC Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology **-Chairman;** 2. The Joint Director / Deputy Director, STQC Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology **-Member;** 3. The Under Secretary / Deputy Director from a Ministry or a Department other than STQC Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology **-Member.**	Not applicable.

[F.No. 2(6)/2018-PA(TB)]

ARVIND KUMAR, Director General STQC Directorate

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM